संख्या-42 /2020/ 742 /71-3-2020-एनएम-07/2019

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- **प्रधानाचार्य,** स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।

2- **प्रधानाचार्य,** स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक, 20 जुलाई, 2020**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद एवं बहराइच के मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/166, दिनॉक 08-07-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में "2210-05-105-03-0381-मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद" तथा "2210-05-105-03-0384-मेडिकल कालेज, बहराइच" के 20-सहायता अनुदान-सामान्य गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में कुल रू0 533.40 लाख (रू0 पॉच करोड तैंतीस लाख चालीस हजार मात्र) अवमुक्त् करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्न विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	उपलब्ध बजट	अबतक अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।	1600.00	266.70	266.70
2	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।	1600.00	266.70	266.70
योग				533.40

1. स्वीकृत धनराशि आहरित कर किसी बैंक /डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24-03-2020, 11-04-2020 तथा 18-05-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
6. धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3- 668 /दस-2020, दिनॉक 16 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-42/2020/742(1)/71-3-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद/बहराइच।
5. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद/बहराइच।
7. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद/बहराइच।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।